Youth Competition Times

National Education Society for Tribal Students
Staff Selection Exam

EMRS
Hostel Warden
(TIER-II)
(Objective and Descriptive Questions)
प्रैक्टिस बुक

प्रधान सम्पादक
Anand K. Mahajan
लेखन सहयोग
परीक्षा विशेषज्ञ समिति
कम्प्यूटर ग्राफिक्स
बालकृष्ण, चरन सिंह
संपादकीय कार्यालय
12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002
9415650134
Email : yctap12@gmail.com
website : www.yctbooks.com/www.yctfastbook.com/www.yctbooksprime.com
© All Rights Reserved with Publisher
प्रकाशन घोषणा
सम्पादक एवं प्रकाशक आनन्द कुमार महाजन ने आर.ए. सिक्योरिटी प्रिंटर्स, प्रयागराज से मुद्रित करवाकर,
वाई.सी.टी. पब्लिकेशन प्रा.लि., 12, चर्च लेन, प्रयागराज-211002 के लिए प्रकाशित किया।
इस पुस्तक को प्रकाशित करने में सम्पादक एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है
फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सुझाव और सहयोग सादर अपेक्षित है।
किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा।

₹ 295/-

CONTENT

- प्रैक्टिस सेट -1 3-12
- प्रैक्टिस सेट -2 13-22
- प्रैक्टिस सेट -3 23-32
- प्रैक्टिस सेट -4 33-42
- प्रैक्टिस सेट -5 43-51
- प्रैक्टिस सेट -6 52-60
- प्रैक्टिस सेट -7 61-70
- प्रैक्टिस सेट -8 71-79
- प्रैक्टिस सेट -9 80-89
- प्रैक्टिस सेट -10 90-98
- प्रैक्टिस सेट -11 99-107
- प्रैक्टिस सेट -12 108-117
- प्रैक्टिस सेट -13 118-126
- प्रैक्टिस सेट -14 127-135
- प्रैक्टिस सेट -15 136-144
- प्रैक्टिस सेट -16 145-154
- प्रैक्टिस सेट -17 155-163
- प्रैक्टिस सेट -18 164-173
- प्रैक्टिस सेट -19 174-182
- प्रैक्टिस सेट -20 183-192

Syllabus–Tier-II- Hostel Warden

- **Knowledge of POCSO and other children safety related Acts of Govt. of India**
  - The Prohibition of Child Marriage Act (2006);
  - The Protection of Children from Sexual Offences Act (2012), The Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020,
  - The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act (1986),
  - The Immoral Traffic Prevention Amendment Bill, 2006,
  - The Commission for Protection of Child Rights Act, 2005,
  - The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 (RTE) The Criminal Law Amendment Act 2013
  - Child Policy,
  - National Charter of Children
  - Child Mortality Rate,
  - Gender Ratio
- **Administrative Aptitude–**
  Handling of large number of students, Managing the consumables and inventories of Hostel, ensuring safety and security of children, ensuring segregation of male and female students, ensuring cleanliness hostel premises, record management of children.

PRACTICE SET-01

Part-A (Objective Questions)

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है।

(a) धारा 2 (a) (b) धारा 3 (a)
(c) धारा 2 (c) (d) धारा 3 (c)

2. लैगिंक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्यवाहियों का संचालन करेगा।

(a) जिला लोक अभियोजन अधिकारी
(b) शासकीय अधिवक्ता
(c) विशेष लोक अभियोजक
(d) अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक

3. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 2 (ii) में परिभाषित है?

(a) समुचित सरकार (b) बालक
(c) सप्ताह (d) कर्मशाला

4. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम का विस्तार है?

(a) सम्पूर्ण भारत पर
(b) सम्पूर्ण भारत पर सिवाय जम्मू-कश्मीर राज्य
(c) उपरोक्त दोनों सही है
(d) उपरोक्त में से दोनों गलत है।

5. बालक अधिकारी संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई?

(a) फरवरी 2006 (b) जनवरी 2006
(c) अगस्त 2006 (d) मार्च 2006

6. बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है

(a) 5 वर्ष से 15 वर्ष आयु वर्ग के मध्य
(b) 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के मध्य
(c) 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के मध्य
(d) 4 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के मध्य

7. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु सशक्त करता है?

(a) अनुच्छेद 15(1) (b) अनुच्छेद 15(2)
(c) अनुच्छेद 15(3) (d) अनुच्छेद 16(3)

8. यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेन्सी फंड के आकड़ों कें अनुसार वर्ष 2021 में शिशु मृत्युदर रही

(a) 20 (b) 19
(c) 21 (d) 25

9. National Education policy 2020 based on which framework
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) किस ढांचे पर आधारित है।

(a) 10 + 2
(b) 5 + 3 + 2
(c) 5 + 3 + 3 + 4
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

10. Who controls hostel and mess?
हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रण करता है?

(a) Warden/वार्डन
(b) Director/डायरेक्टर
(c) Chief Director/चीफ डायरेक्टर
(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

11. According to International norms which age group known as child?
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, बच्चा कौन होता है?

(a) Person below age of 18 year
18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति
(b) Person below age of 12 years
12 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति
(c) Person below age of 14 years
14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति
(d) None of the above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

12. Which of the following not included in cleanliness measures to maintain cleanliness in the hostel?/छात्रावास में स्वच्छता बनाएँ रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा स्वच्छता उपायों में शामिल नहीं है–

(a) Adopting clean lifestyle
स्वच्छ जीवन-शैली को अपनाना
(b) Regular cleaning programme
नियमित सफाई कार्यक्रम
(c) Vacuuming of the room/कमरे की वैक्यूमिंग
(d) No management of laundry
लाँड्री का प्रबंधन न करना

13. Reporting system established
रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से–

(a) Specialization/विशेषज्ञता
(b) Better productivity/बेहतर उत्पादकता
(c) Clarity of working relation
कामकाजी संबंधों की स्पष्टता
(d) Adaptability to change/परिवर्तन के प्रति अनुकूलन

14. बाल विवाह प्रतिषेध लगाने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया?

(a) 2004 (b) 2005
(c) 2006 (d) 2007

15. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ?

(a) 2010 (b) 2012
(c) 2015 (d) 2016

16. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी व्यवसायों में काम करने से रोकता है। सिवाय
(a) कारखानों में
(b) खतरनाक उद्योगों में
(c) गैर खतरनाक पारिवारिक उद्यमों में स्कूल के बाद
(d) घरेलू सहायक के रूप में

17. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 मुख्यतः किससे सम्बन्धित है?
(a) बाल मजदूरी
(b) महिलाओं व बच्चों के देह व्यापार से संरक्षण
(c) नशीले पदार्थ
(d) मानव तस्करी केवल पुरुषों की

18. बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ?
(a) 2004 (b) 2006
(c) 2003 (d) 2005

19. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता?
(a) 3 से 12 वर्ष (b) 5 से 14 वर्ष
(c) 6 से 14 वर्ष (d) 6 से 18 वर्ष

20. भारत में वर्तमान राष्ट्रीय बाल नीति किस वर्ष लागू की गई थी?
(a) 1974 (b) 2003
(c) 2013 (d) 2020

21. बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर को भारत सरकार ने कब अपनाया था?
(a) 2001 (b) 2002
(c) 2003 (d) 2004

22. प्रसव कालीन मृत्युदर को परिभाषित करता है-
(a) $\dfrac{\text{जन्म के पहले सप्ताह के भीतर बच्चों की मृत्यु की संख्या}}{\text{जन्मों की कुल संख्या}} \times 1000$
(b) $\dfrac{\text{जन्म के पहले सप्ताह के भीतर बच्चों की मृत्यु की संख्या}}{\text{जन्मों की कुल संख्या}} \times 100$
(c) $\dfrac{\text{5वें जन्म दिन के भीतर बच्चों के मृत्यु की संख्या}}{\text{जन्मों की कुल संख्या}} \times 1000$
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

23. लिंग-अनुपात (Sex Ratio) की परिभाषा क्या है?
(a) 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या
(b) 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या
(c) कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत
(d) जन्म के समय लड़कियों का प्रतिशत

24. छात्रावास में उपभोग्य सामग्रियों के लिए स्टॉक रजिस्टर किसके द्वारा बनाए जाता है?
(a) छात्रा द्वारा (b) वार्डन द्वारा
(c) केयरटेकर द्वारा (d) प्राचार्य द्वारा

25. EMRS में लड़के-लड़कियों के हॉस्टल भवनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए?
(a) 100 मीटर (b) 200 मीटर
(c) 500 मीटर (d) कोई बंधन नहीं

26. छात्रावास में कूड़ा प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका क्या है?
(a) खुले में फेंक देना
(b) मिश्रित कचरा जमा करना
(c) सूखा-गीला कचरा अलग करना
(d) जलाकर खत्म करना

27. छात्रावास में छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नही होता है?
(a) नाम और जन्मतिथि (b) माता-पिता का नाम
(c) छात्र का पसंदीदा रंग (d) उपरोक्त सभी

28. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल धाराएं है?
(a) 25 (b) 21
(c) 23 (d) 22

29. Which of the following declare rate in the mess operated on the co-operative base?
कोऑपरेटिव आधार पर संचालित मेस में भोजन की दरों की जानकारी समय-समय पर किसके द्वारा दी जाती है।
(a) warden/वार्डन (b) care taker/केयर- टेकर
(c) Teacher/अध्यापक (d) Peon/चपरासी

30. Who is responsible for the security in hostel?/हॉस्टल में सुरक्षा का कार्य किसका है?
(a) Teacher/अध्यापक (b) Warden/वार्डन
(c) Principal/प्रधानाचार्य (d) Peon/चपरासी

31. For Girls Hostel how much percentage of management and teachers reserved for females./महिला छात्रावासों के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति में प्रबंधन व अध्यापकों में कितना प्रतिशत महिलाओं का होना आवश्यक है?
(a) 25% (b) 75%
(c) 35% (d) 50%

32. राष्ट्रीय बाल नीति में दिव्यांग बच्चों के लिए ''समावेशी शिक्षा'' को बढ़ावा देने की बात किस खण्ड में किया गया है?
(a) 4.2 (b) 4.13
(c) 5.1 (d) 5.4

33. SRS-2023 के अनुसार भारत में नवजात मृत्युदर (NMR) कितनी है?
(a) 18 (b) 20
(c) 22 (d) 24

34. हॉस्टल में सफाई सामग्री (फिनाइल, झाड़ू) का प्रोक्योरमेंट किस आधार पर होगा?

(a) मासिक खपत के आधार पर
(b) वार्षिक अनुमान
(c) बिना रिकॉर्ड
(d) छात्रों की मांग पर

35. छात्रावास के कॉमन हॉल में सफाई की मुख्य चुनौती क्या है?
(a) खाना बनाना
(b) टी बी का होना
(c) अधिक उपयोग और भीड़
(d) इसका मुख्य परिसर से दूर होना

36. What is the role of warden in managing the hostel or maintaining positive relations with the governing body?/छात्रावास के प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में वार्डन की क्या भूमिका है?
(a) Avoid any interaction with the management to maintain independence
स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचे।
(b) Complain and criticize the management publicly for every issue
हर मुद्दे के लिए सार्वजनिक रूप से प्रबंधन की शिकायत करें और आलोचना करें।
(c) To promote open communication and co-operation with the management/प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा देना।
(d) Encourage students to protest against decisions of the management
छात्रों को प्रबंधन के निर्णयों के विरुद्ध विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करना।

37. Safety Mean.....
सुरक्षा का मतलब......
(a) the condition of being protected from or unlikely to cause danger risk or injury/जोखिम या चोट लगने की सम्भावना से सुरक्षित होने की स्थिति
(b) the state of being free from danger or threat
खतरे या खतरे से मुक्त होने की अवस्था
(c) a and b/a और b दोनों
(d) None of above/उपर्युक्त में से कोई नहीं

38. Reasons behind non cleanliness of hostels are
छात्रावास में अस्वच्छता का प्रमुख कारण है–
(a) Giving responsibility of cleanliness to each and every individual in the hostel/छात्रावास में प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता का कार्य सौंपना
(b) Trained sweepers/सफाई कर्मियों का प्रशिक्षित होना
(c) Lack of management skill and aptitude in hostel warden./छात्रावास वार्डन में प्रबंधन कौशल व अभिरुचि का न होना।
(d) Inspection and evaluation of hostel cleanliness.
छात्रावास स्वच्छता का निरीक्षण व मूल्यांकन

39. Duties of hostel advisory committee includes-
छात्रावास सलाहकार समिति के कार्यों में शामिल है–
(a) Supervision of the members of staff
स्टॉफ सदस्यों का पर्यवेक्षण
(b) Advise on rules and regulations of hostel
छात्रावास नियमों और विनियमों से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह
(c) Advise on security issues
सुरक्षा संबंधी मामलों पर सलाह
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

40. हॉस्टल वार्डन को प्रशिक्षण कितने वर्ष में एक बार लेना अनिवार्य है?
(a) 3 वर्ष (b) 2 वर्ष
(c) 5 वर्ष (d) कभी नहीं

Part-B (Descriptive Questions)

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 क्या है? इस पर टिप्पणी लिखें।
2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) क्या है?
3. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनिमयन) अधिनियम, 1986 क्या है?
4. अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम-1956 के प्रमुख प्रावधानों को बताएँ?
5. बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 क्या है? व्याख्या कीजिए।
6. निःशुल्क और बाल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, क्यों ?
7. भारत में बच्चों के कानूनी अधिकार क्या हैं और ये संविधान में किस प्रकार निहित हैं?
8. बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर क्या है? भारत में इसके विकास को समझाइए।
9. लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं? समझाइए।
10. छात्रावास के नियमों और विनियमों को इतने प्रभावी ढंग से कैसे लागू करेंगे कि बड़ी संख्या में छात्रों में अनुशासन बना रहे?
11. खाद्य पदार्थों (राशन, सब्जियाँ, दूध) की खरीद और भण्डारण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि गुणवत्ता बनी रहे और बर्बादी कम हो?
12. एक हॉस्टल वार्डन के रूप में, आप उन छात्रों की पहचान कैसे करेंगे जो भावनात्मक संकट या दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं?
13. पुरूष और महिलाओं के छात्रावास भवनों के प्रवेश और निकास बिन्दुओं पर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ताकि अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सके?
14. एक छात्रावास वार्डन के द्वारा छात्रावास परिसर में एक व्यापक स्वच्छता प्रबन्धन योजना कैसे विकसित और लागू करनी चाहिए?
15. छात्रावास में बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है?

Solution : Practice Set-01

Answer

1.(a)	**6.(b)**	**11.(a)**	**16.(c)**	**21.(c)**	**26.(c)**	**31.(d)**	**36.(c)**
2.(c)	**7.(c)**	**12.(d)**	**17.(b)**	**22.(a)**	**27.(c)**	**32.(b)**	**37.(c)**
3.(b)	**8.(b)**	**13.(c)**	**18.(d)**	**23.(a)**	**28.(b)**	**33.(a)**	**38.(c)**
4.(a)	**9.(c)**	**14.(c)**	**19.(c)**	**24.(c)**	**29.(b)**	**34.(a)**	**39.(d)**
5.(b)	**10.(a)**	**15.(b)**	**20.(c)**	**25.(b)**	**30.(b)**	**35.(c)**	**40.(a)**

Solution

Part-A (Objective Questions)

1.(a)
2.(c)
3.(b)
4.(a)
5.(b)
6.(b)
7.(c)
8.(b)
9.(c)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 5 + 3 + 3 + 4 ढांचे पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई, 2020 को घोषित किया गया है। जिसे वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।

10.(a)
हॉस्टल और मेस का नियंत्रण वार्डन और मेस कमेटी के अधीन होता है, जो डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट देता है। ऐसे कई वार्डन या प्रबंधक होने चाहिए, जो हॉस्टल और मेस के प्रबंधन में चीफ वार्डन की सहायता कर सकें।

11.(a)
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। यह बच्चे की वैश्विक रूप से स्वीकार परिभाषा है, जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (यू० एन० सी० आर० सी०) के आम सहमति से घोषित किया गया है।

12.(d)
छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उपायों में स्वच्छ जीवन-शैली को अपनाना, नियमित सफाई कार्यक्रम, कमरे की वैक्यूमिंग कराना और लाँड्री का प्रबंधन करना शामिल है।

13.(c)
रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करने से कामकाजी संबंधों की स्पष्टता निर्धारित होती है। इससे कार्यों के निपटारे में सुलभता के साथ-साथ पारदर्शिता भी बनी रहती है तथा नीतियों एवं कार्य योजनाओं का आसानी से क्रियान्वयन किया जा सकता है।

14.(c)
बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम वर्ष 2006 में पारित किया गया। यह एक भारतीय कानून है जो विवाह के योग्य महिलाओं और पुरूषों के उम्र का निर्धारण करता है।

15.(b)
भारत सरकार ने बच्चों के विरूद्ध बढ़ते यौन अपराधों को देखते हुए 2012 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 विशेष कानून पारित किया गया। इससे पहले बच्चों के यौन उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला कोई स्वतंत्र कानून नहीं था। पॉक्सो ने परिभाषाएँ, दंड और प्रक्रियाएँ स्पष्ट कर दी।

16.(c)
बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सभी व्यवसायों और नियोक्तओं के अंतर्गत काम करना पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। इसका एकमात्र अपवाद है पारिवारिक उद्यम और वह भी स्कूल की पढ़ाई के बाद।

17.(b)
अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 सेक्स तथा देह व्यापार से महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के द्वारा स्वतंत्र भारत में पहली बार महिला एवं बाल सशक्तिकरण हेतु कानूनी प्रयास किया गया।

18.(d)
बालक अधिकार के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया। यह अधिनियम 20 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ।

19.(c)
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।

20.(c)
भारत में वर्तमान राष्ट्रीय बाल नीति वर्ष 2013 में लागू की गई थी। यह नीति 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास और अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाती है।

21.(c)
बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर 2003 को कैबिनेट ने मंजूरी दी और 9 फरवरी 2004 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। यह चार्टर संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि 1989 के अनुरूप है तथा बालकों को सर्वांगीण विकास हेतु राज्य के दायित्वों की पूर्ति करता है।

22.(a)
प्रसव कालीन मृत्युदर, प्रति हजार (1000) जीवित जन्मों पर 7 दिन से कम आयु के शिशुओं और 28 सप्ताह से अधिक गर्भ में भ्रूण की मृत्यु की संख्या है।

23.(a)
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सख्या को लिंग-अनुपात कहते हैं। भारत में जनगणना एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इसी मानक प्रयोग करते हैं।

24.(c)
छात्रावास प्रबंधन में उपभोग्य और गैर-उपभोग्य सामाग्रियों के लिए अलग-अलग स्टॉक रजिस्टर बनाए रखे जाते हैं। केयरटेकर इन रजिस्टरों को बनाए रखते हैं, जिसमें मात्रा, स्रोत, बिल नम्बर, तारीख और दर दर्ज की जाती है। जिसे वार्डन द्वारा रैंडम चेक किया जाता है और प्रविष्टियों को प्रमाणित किया जाता है। मासिक सत्यापन मेस प्रावधानों की सटीक बिलिंग सुनिश्चित करता है।

25.(b)
EMRS हॉस्टल निर्माण दिशानिर्देश-2023 के अनुसार दोनों हॉस्टलों के बीच कम से कम 200 मीटर दूरी रखी जाती है ताकि छात्र-छात्राएं एक-दूसरे के परिसर में अनायास पहुँच न सके और सुरक्षा का पूर्ण पालन हो।

26.(c)
छात्रावास में कूड़ा प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका सूखा-गीला कचरा अलग करना है। सूखा-गीला कचरा अलग करना वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका है। इससे पुनर्चक्रण आसान होता है, दुर्गंध कम होती है तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। परिसर में स्वच्छता बनाए रखने में यह एक प्रभावी उपाय है।

27.(c)
छात्रावास में छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी में उसका नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम पाठ्यक्रम और संस्थान आदि शामिल है। जबकि छात्र का पसंदीदा रंग व्यक्तिगत विवरण में शामिल नहीं किया जाता है।

28.(b)

29.(b)
कोऑपरेटिव आधार पर संचालित मेस में भोजन की दरों की जानकारी समय-समय पर संबंधित छात्रावास में छात्रों को भोजनशाला समिति अथवा केयर-टेकर के माध्यम से दी जाती है।

30.(b)
हॉस्टल में सुरक्षा की जिम्मेदारी कई स्तरों पर होती है, जिसमें मुख्य रूप से वार्डन/सुपरिंटेंडेंट और सिक्योरिटी गार्ड्स और खुद निवासी छात्र शामिल है, ताकि एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण बनाया जा सके।

31.(d)
महिला छात्रावासों के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति में प्रबंधन व अध्यापकों में 50% महिलाएँ होना अनिवार्य है। यह एक सामान्य और आवश्यक मानदंड है, जो महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित वातावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

32.(b)
राष्ट्रीय बाल नीति में दिव्यांग बच्चों के लिए ''समावेशी शिक्षा'' को बढ़ावा देने की बात खण्ड (4.13) में की गई है। नीति का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए एक समावेशी और एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।

33.(a)
सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2023 के अनुसार भारत का NMR (नवजात मृत्युदर) 18 है। ध्यातव्य है कि यह 0-28 दिन के भीतर होने वाली मृत्यु दर्शाता है। इसका प्रमुख कारण प्री टर्म डिलीवरी, कम वजन व प्रसव जटिलताएँ हैं।

34.(a)
NCPCR रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अनुसार वार्डन को सफाई उपभोग्य सामग्रियाँ (झाडू 25-40/ माह, फिनाइल आवश्यकतानुसार) का प्रोक्योरमेंट मासिक खपत रिकॉर्ड से करना होगा ताकि स्वच्छता बनी रहे।

35.(c)
कॉमन हॉल का बार बार उपयोग होने से गंदगी जल्दी जमा होती है। वार्डन को यहाँ अतिरिक्त सफाई, डस्टबिन और फर्श की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि भीड़ के बावजूद साफ वातावरण बना रहे।

36.(c)
छात्रावास के प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए वार्डन को प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जिससे छात्रावास में समुचित व्यवस्थाओं को आसानी से लागू किया जा सके तथा छात्रावास के छात्रों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

37.(c)
सुरक्षा का मतलब खतरे से सुरक्षित होने या उसके कारण होने की संभावना की स्थिति को पहचानना तथा खतरे से मुक्त होने की स्थिति की खोज करना है, जिससे खुद को सुरक्षित कर सकें।

38.(c)
छात्रावास में अस्वच्छता और साफ-सफाई की व्यवस्था न होने का प्रमुख कारण छात्रावास वार्डन में प्रबंधन कौशल व अभिरुचि का न होना है।

39.(d)
छात्रावास सलाहकार समिति छात्रावास के सभी स्टॉफ सदस्यों के पर्यवेक्षण सहित छात्रावास से संबंधित मामलों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों और दीर्घकालिक योजना के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करती है।

40.(a)
EMRS एवं NCPCR (National Commission for Protection of Child Right-राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) के अनुसार सभी हॉस्टल वार्डन को पॉक्सो एक्ट, बच्चों के अधिकार एवं सुरक्षा पर प्रत्येक 3 वर्ष में रिफ्रेशर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है।

Part-B (Descriptive Questions)

1.
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को 1 नवंबर, 2007 को लागू किया गया। यह 1929 के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है।

इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह को निषिद्ध करना पीड़ितों की सुरक्षा और अपराधियों की सजा सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम में बाल विवाह को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष से कम आयु पर विवाह करना अवैध है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है और विदेश में भारतीय नागरिकों पर भी लागू है।

इसके प्रमुख प्रावधानों में बाल विवाह को शून्य घोषित करना, बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति और सजा शामिल है। यह पीड़ितों को चिकित्सा, कानूनी सहायता और पुनर्वास प्रदान करता है।

यह अधिनियम तीन क्षेत्रों पर केंद्रित है; रोकथाम, सुरक्षा और अभियोजन।

यूनिसेफ के अनुसार, यह सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में सहायक है। हालांकि चुनौतियाँ अभी भी हैं, लेकिन सरकार, समाज और गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग और प्रभावी, सकारात्मक प्रयासों से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

2.
भारत सरकार ने बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012'' पारित किया। यह अधिनियम 14 नवम्बर 2012 से पूरे भारत में प्रभावी हुआ।

इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं-

- बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लील प्रदर्शन से सुरक्षा देना है।
- अपराधियों के विरूद्ध कठोर दण्ड का प्रावधान करना।
- बच्चों के लिए गोपनीय और संवेदनशील न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- पुलिस, अदालत और चिकित्सा प्रक्रिया में बच्चे की मर्यादा और सुरक्षा का ध्यान रखना।

मुख्य प्रावधान-

बालक की परिभाषा- 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति।

- **अपराधों के प्रकार**-
- लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment)
- लैंगिक हमला (Sexual Assault)
- गंम्भीर लैंगिक हमला (Aggravated Sexual Assault)
- बाल अश्लीलता (Child Pornography)

गोपनीयता का अधिकार- बच्चे की पहचान को किसी भी माध्यम से साझा नहीं किया जा सकता।

बच्चे के बयान की प्रक्रिया- पुलिस व अदालत में बयान के समय बच्चे के साथ कोई डर या दबाव न हों।

- बच्चे का बयान महिला अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है।

विशेष न्यायालय- हर जिले में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना हो।

दंड प्रावधान- सामान्य लैंगिक अपराधों के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की सजा।

- गंभीर अपराध के लिए 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा।

यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा हेतु एक सशक्त कानूनी ढ़ांचा प्रदान करता है। यह न केवल अपराधियों को कठोर दंड देता है, बल्कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण एवं न्याय की गारंटी भी देता है।

3.

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनिमयन) अधिनियम, 1986 एक महत्वपूर्ण भारतीय कानून है, जिसका उद्देश्य बाल श्रम को रोकना और प्रतिबंधित करना तथा रोजगार को विनियमित करना है। इस अधिनियम को 23 दिसम्बर 1986 को लागू किया गया था।

उद्देश्य- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुछ निश्चित व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने से रोकना है।

विनियमन- यह अधिनियम उन व्यवसायों को भी विनियमित (Regulate) करता है, जहाँ बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित नहीं है। इसमें काम के घंटे, साप्ताहिक अवकास और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे प्रावधान शामिल हैं।

मुख्य प्रावधान (Main Provision)-

(1) बालक की परिभाषा- इस अधिनियम के अनुसार बालक वह व्यक्ति है जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है।

(2) निषिद्ध रोजगार (Prohibited Occupation & Processes)-

- बच्चों को निम्न प्रकार के कार्यों में काम पर रखना या करवाना प्रतिबंधित है-
- खदानों में काम, कारखानों में खतरनाक मशीनों पर काम, आतिशबाजी निर्माण, बीड़ी, पटाखा माचिस उद्योग, रासायनिक और कीटनाशक कारखाने आदि।

(3) विनिमय का प्रावधान- जहाँ बालकों का कार्य पूरी तरह वर्जित नहीं है-

- अधिकतम कार्य घन्टे निर्धारित (अधिकतम 6 घंटे निर्धारित) करना।
- लगातार 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं करवाया जा सकता, इसके बाद विश्राम आवश्यक है।
- रात में (रात 7 बजे से सुबह 8 बजे तक) काम नहीं करवाया जा सकता।
- साप्ताहिक अवकास आवश्यक है।

(4) दण्ड (Penalties)-

- बालक से निषिद्ध कार्य करवाने पर नियोजन को 6 महिने से 2 साल तक की कैद या 20,000 से 50,000 रूपए तक जुर्माना या दोनों हो सकता है।

संशोधन- 2016 के संशोधन के बाद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर लगभग पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया और 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोका गया है।

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनिमय) अधिनियम, 1986 भारत में बालश्रम को रोकने का एक महत्वपूर्ण कानून है, इसका मुख्य उद्देश्य– 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोकना और बच्चों के शोषण को समाप्त करने, उन्हें शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने और स्वस्थ बचपन प्रदान करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करना है।

4.

अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 का उद्देश्य बुराईयों के व्यावसायिकरण और महिलाओं की तस्करी को रोकना है। यह यौन कार्य के आस-पास के कानूनी ढाँचे को चित्रित करता है। हालाँकि यह अधिनियम स्वयं, यौन कार्य को अवैध घोषित नहीं करता लेकिन यह वेश्यालय चलाने पर रोक लगाता है। वेश्यावृत्ति में संलग्न होना कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन लोगों को लुभाना और उन्हें यौन गतिविधियों में शामिल करना अवैध माना जाता है।

1. अधिनियम की धारा-2: इसके तहत 'वेश्यालय' (जिसमें व्यावसायिक लाभ शामिल हों) कोई भी स्थान, घर का हिस्सा, कमरा या वाहन जो यौन शोषण या दुर्व्यवहार के लिए हो सकता है। 'वेश्यावृत्ति' व्यावसायिक उद्देश्य से किसी व्यक्ति का यौन शोषण या उसके साथ दुर्व्यव्हार करना है।

2. विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति और शक्तियाँः धारा-13-15 के तहत विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) की नियुक्ति, जो उप-निरीक्षक के ऊपर का अधिकारी हो। SPO को बिना वारंट गिरफ्तारी, तलाशी लेने और चिकित्सकीय जाँच कराने की शक्ति है। तलाशी के दौरान दो महिला अधिकारियों और स्थानीय सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य है।

3. मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ- धारा-16 में वेश्यालय से व्यक्तियों को मुक्त कराने का आदेश, मुक्त व्यक्ति को संरक्षक गृह में 1-3 वर्ष के लिए रखने का प्रावधान; धारा-17 में अभिभावक की जाँच अनिवार्य, धारा-18 में, सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यालय चलाने पर निष्कासन का आदेश एवं धारा-20 में सार्वजनिक हित में वेश्या को क्षेत्र से हटाने का आदेश शामिल है।

4. अपराधों के लिए दंड- धारा-3, वेश्यालय चलाने या प्रथम अपराध पर 1-3 वर्ष कठोर कारावास और 2000 रूपये जुर्माना एवं पुनरावृत्ति पर 2-5 वर्ष कारावास।

- **धारा-4** वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीने वाले को 2 वर्ष का कारावास और 2000 रूपये जुर्माना तथा नाबालिग मामले में 7-10 वर्ष कारावास।

- **धारा-5** वेश्यावृत्ति के लिए प्रलोभन या ले जाने पर 3-7 वर्ष कठोर कारावास और 2000 रूपये जुर्माना, नाबालिग के मामले में 7-14 वर्ष या आजीवन कारावास।

- **धारा-6** नाबालिग का वेश्यालय में पाया जाना हिरासत का प्रमाण माना जाएगा, जिस हेतु 7-10 वर्ष कारावास की सजा होगी।

- **धारा-7** सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति में संलग्न या संचालन में लिप्त पाये जाने पर 3 माह की कारावास (यदि नाबालिक हो तो 7-10 वर्ष कारावास)।

- **धारा-8** यदि सार्वजनिक रूप से कोई प्रलोभन देते हुए पाया जाता है तो 6 माह कारावास और जुर्माना, पुनरावृत्ति पर 1 वर्ष।

5- संरक्षक गृह और सुधार संस्थाएं- धारा-21 के तहत सुधार संस्थाओं व संरक्षक गृह हेतु राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस व स्थापना। पीड़ितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास। वयस्क पीड़िता को उसकी इच्छा के विरूद्ध सुधार संस्था में ना भेजना।

-धारा- 22 अपराधों का प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष मुकदमा एवं धारा-23 के तहत पूर्व दोषी को 5 वर्ष तक निगरानी में रखना। यह अधिनियम बाल न्याय अधिनियम 2015 के साथ एकीकृत है जिसमें बाल पीड़ितों को संरक्षण प्रदान किया जाता है।

यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप मानव तस्करी को रोकने पर केंद्रित है। यह मानव तस्करी और यौन शोषण के खिलाफ एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है लेकिन कार्यान्वयन में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

5.

बालक/बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (The Commission of Protection of Child Rights Act, 2005) एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसे भारत सरकार द्वारा बच्चों के अधिकारों की रक्षा और संवर्द्धन के लिए बनाया गया था।

उद्देश्य- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन करना तथा उनके कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी करना है।

प्रमुख प्रावधान-

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 अधिनियम के तहत की गई।
- राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) भी गठित किया जा सकता है।
- आयोग का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि
  - बच्चों से संबंधित सभी कानूनों का पालन हों,
  - बच्चों के खिलाफ, शोषण, हिंसा और भेदभाव को रोका जाए,
  - बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से जुड़ी नीतियों की समीक्षा की जाए।
- आयोग को शिकायत प्राप्त करने और जाँच करने का अधिकार है, यदि किसी बच्चे के अधिकारो का उल्लंघन हुआ हो।
- आयोग बाल न्याय अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और पॉक्सो जैसे अन्य कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करता है।

यह अधिनियम बच्चों को सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिकारपूर्ण जीवन प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कानूनी कदम है, जिससे देश में बाल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

6.

निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, भारत में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।

प्रमुख कारण -

1. **शिक्षा का मौलिक अधिकार -** संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6-14 वर्ष आयु के बच्चे को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, ताकि प्रत्येक बच्चे को बुनियादी शिक्षा मिल सके।
2. **सामाजिक और आर्थिक विकास –** इससे बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा से उसका बौद्धिक और सामाजिक विकास होगा।
3. **विकासात्मक चरण -** 6-14 वर्ष की आयु प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण होती है, जब बच्चे बुनियादी साक्षरता और गणितीय कौशल सीखते हैं।
4. **सर्व शिक्षा अभियान -** यह अधिनियम, इसके लक्ष्यों को लागू करता है ताकि शिक्षा व बच्चों की स्कूल तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

   यह अधिनियम एक समावेशी प्रावधान करता है, जिसमें सभी बच्चों तक मुफ्त शिक्षा और निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों हेतु आरक्षित करना शामिल है। यह अधिनियम इस वर्ग की आयु के बच्चों को लक्षित करता है, ताकि शिक्षा के माध्यम से एक समावेशी और सशक्त समाज का निर्माण हो सके।

7.

भारत सरकार बच्चों के अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जो मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (UNCRC) से प्रेरित है, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। ये अधिकार बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन जीने, सुरक्षित रहने और उनकी पूरी क्षमता तक पहुँचने में मदद करने के लिए किए गए हैं।

मुख्य कानूनी अधिकार –

- **शिक्षा का अधिकार –** संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है।
- **शोषण के खिलाफ अधिकार –** अनुच्छेद 23 और 24 बच्चों को जबरन श्रम और खतरनाक उद्योगों में रोजगार से बचाते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है।
- **जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार –** अनुच्छेद 21 बच्चों सहित सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की गारंटी देता है।
- **सुरक्षात्मक प्रावधान –** यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act, POCSO) 2012 यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित मामलों के लिए कठोर दण्ड के साथ एक विशेष कानून है।
- **बाल श्रम निषेध –** बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम (Child Labour (Prohibition and Regulation) Act) 1986 कुछ अपवादों को छोड़कर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है।
- **देखभाल और संरक्षण–** बच्चों के दुर्व्यवहार उपेक्षा और अपमान से बचाया जाना चाहिए और उन्हें स्वथ्य विकास के लिए देखभाल और आश्रम का अधिकार है।

  भारत में बच्चों के कानूनी अधिकार एक जटिल और सुव्यवस्थित प्रणाली बनाते हैं जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के प्रत्येक बच्चे को गरिमा, सुरक्षा और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का गौरव मिले।

8.

भारत सरकार ने 2003 में बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर जारी किया। इसका उद्देश्य देश के सभी बच्चों के अधिकार, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और विकास को सुनिश्चित करना है। यह चार्टर बच्चों के लिए एक दिशा निर्देश की तरह काम करता है, ताकि सरकार संस्थान और समाज मिलकर बच्चों के अधिकारों की प्रभावी रूप से रक्षा कर सके।

चार्टर के मुख्य बिंदु-

जीवन और सुरक्षा का अधिकार-

• हर बच्चे को सुरक्षित, हिंसा-रहित और देखभालपूर्ण वातावरण देने पर जोर।

• बालश्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह और शोषण के खिलाफ सुरक्षा।

स्वास्थ्य और पोषण- नवजात से किशोर अवस्था तक बच्चों के लिए उचित पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।

शिक्षा का अधिकार- 6-14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर जोर।

• गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करना।

विशेष जरूरतों वाले बच्चों की सुरक्षा- विकलांग बच्चों, अनाथों और सड़क पर रहने वाले बच्चों और आपदा से प्रभावित बच्चों के लिए विशेष प्रावधान।

न्याय तक पहुँच- बच्चों के लिए संवदेनशील न्याय प्रणाली-किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के अन्तर्गत परीक्षण।

बाल सहभागिता- बच्चों की राय विशेषकर उनसे जुड़े निर्णयों में और आवाज को महत्व देना।

भारत में राष्ट्रीय चार्टर के विकास की प्रक्रिया-

बाल अधिकारों की अन्तराष्ट्रीय मान्यता (UNCRL-1989)

• 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन पारित किया।

• भारत ने 1992 में इस पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत बच्चों के संरक्षण का अन्तराष्ट्रीय भागीदार बना।

राष्ट्रीय बाल नीति 1974 से शुरूआत-

• 1974 में भारत ने पहली राष्ट्रीय बाल नीति बनाई।

• यह बच्चों के कल्याण के विचार की नींव थी।

बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर (2003)

• UNCRC की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत ने 2003 में राष्ट्रीय चार्टर जारी किया।

• यह बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, विकास और न्याय को एकीकृत ढांचे में लाया।

किशोर न्याय अधिनियम 2000 और संशोधन-

• किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना।

• बाल कल्याण समिति का गठन

• 2000, 2006, 2015 के J J Act इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

आरटीई एक्ट 2009 लागू हुआ-

• चार्टर का उद्देश्य था कि शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाया जाए।

• यह 2009 के Right to Education Act से साकार हुआ।

बाल आयोग की स्थापना- चार्टर के प्रावधानों को और मजबूत करने हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) और (SCPCR) की स्थापना की गई।

पॉक्सों एक्ट 2012- चार्टर में बताए गए वातावरण और शोषणरोधी ढांचे को मजबूत करते हुए पॉक्सो (POCSO) कानून लागू हआ।

भारत में बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर बच्चों के लिए एक व्यापक दिशा-निर्देशन प्रदान करता है।

9.

लिंग अनुपात (Sex Ratio) जनसंख्या विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो किसी क्षेत्र में पुरूषों और महिलाओं की सापेक्ष संख्या को दर्शाती है। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का प्रतिबिंब होती है। भारत में यह अनुपात प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या से मापा जाता है।

• **परिभाषा -** लिंग अनुपात $= \dfrac{\text{महिलाओं की संख्या}}{\text{पुरुषो की संख्या}} \times 1000$

• **प्राकृतिक अनुपात -** जन्म के समय सामान्यतः 105 लड़के प्रति 100 लड़कियां (लगभग 952 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष)।

• **भारतीय संदर्भ में -** 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 943 है। वर्ष 2023 में एक अनुमान के अनुसार लिंगानुपात 1,020 है। (यह बढ़ोत्तरी कन्या भ्रूण हत्या में कमी से हुई है।)

• **लिंगानुपात कम होने का कारण -** लिंग-चयनित गर्भपात, लड़कियों (शिशु बालिंका) की उपेक्षा, प्रवास आदि कारण मौजूद हैं।

• **लिंगानुपात असंतुलन से प्रभाव -** लिंगानुपात असंतुलन से विवाह की समस्या, महिलाओं पर हिंसा में बढ़ोतरी हो सकती है।

अतः लिंग अनुपात संतुलित समाज का सूचक है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान से सुधार संभव हुआ है। लिंग समानता सुनिश्चित कर इसे 1000 के निकट लाना आवश्यक है।

10.

छात्रावास के नियमों व विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रक्रिया छात्रावास प्रबंधन के अन्तर्गत आती है। इसमें छात्रावास के संसाधनों, सेवाओं, नियमों व विनियमों तथा छात्रों के व्यवहार का इस प्रकार संचालन व नियमन किया जाता है कि एक सुरक्षित, अनुशासित, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सके।

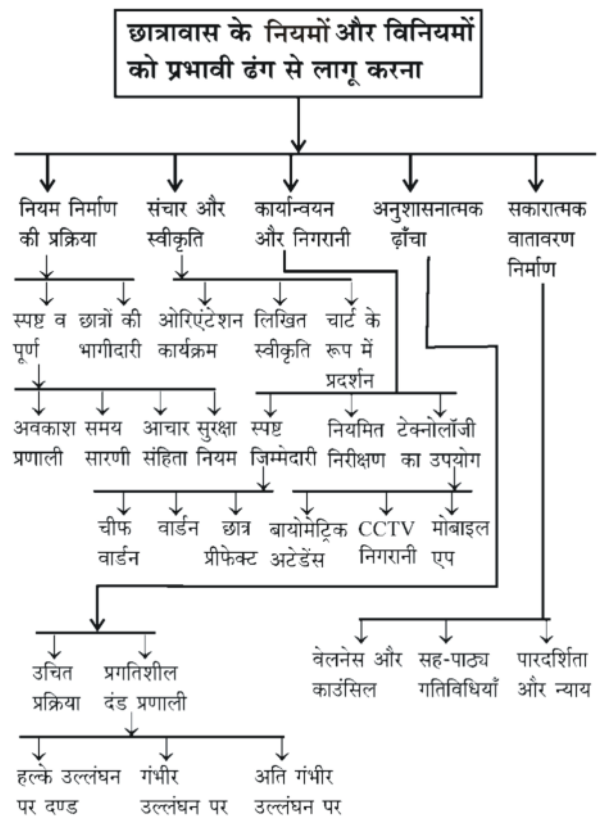

छात्रावास के नियमों और विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, ताकि बड़ी संख्या में छात्रों में अनुशासन बना रहे, उपर्युक्त विधियों को चरणबद्ध लागू करना होगा।

■ **नियम निर्माण की प्रक्रियाः**

● नियमों की एक स्पष्ट व पूर्ण लिखित पुस्तिका होनी चाहिए जिसमें अवकाश प्रणाली, समय-सारणी, आचार संहिता व सुरक्षा नियमों का स्पष्ट उल्लेख हो तथा इसमें छात्रों की भागीदारी भी हो।

■ **नियमों का संचार एवं उसकी स्वीकृति लेनाः**

● नियम बन जाने के बाद इसका प्रभावी ढंग से संप्रेषण हो सके इसके लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम, प्रत्येक छात्र व माता-पिता की लिखित स्वीकृति तथा नियमों को चार्ट के रूप में लगाया जाना जरुरी है।

■ **कार्यान्वयन और निगरानीः**

● चीफ वार्डन, वार्डन व छात्र प्रीफेक्ट (छात्र व प्रशासन के बीच कड़ी) की स्पष्ट जिम्मेदारियाँ हो, इनके द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता हो, साथ ही टेक्नोलॉजी उपयोग के अन्तर्गत बायोमेट्रिक अटेंडेंस, CCTV के तहत निगरानी व एक मोबाइल एप के तहत अवकाश व शिकायत दर्ज कराने की सुविधा होनी चाहिए।

■ **अनुशासनात्मक ढ़ांचाः**

● नियम तोड़ने पर क्या होगा यह स्पष्ट व पारदर्शी होना चाहिए। इसके लिए सुनवाई की उचित प्रक्रिया हो, प्रगतिशील सजा प्रणाली हो, जिसमें दंड गलती की गंभीरता के अनुपात में हो।

■ **सकारात्मक वातावरण निर्माणः**

● डर से नहीं बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी की भावना से अनुशासन बनता है। इसके लिए छात्रों हेतु एक काउंसलर हो ताकि छात्र तनाव से मुक्त रहें साथ ही सह-पाठ्यक्रम गतिविधि व सभी छात्रों से समान व्यवहार जैसे कदम उठाए जाने चाहिए।

अतः कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में छात्रों में अनुशासन बनाए रखने का रहस्य केवल दंड देने में नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित, न्यायसंगत और सहभागी प्रणाली स्थापित करने में है। जब छात्र यह महसूस करते हैं कि नियम उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए है, न कि केवल नियंत्रण के लिए तो वे स्वेच्छा से उनका पालन करने लगते हैं।

11.

प्रस्तावना- EMRS हॉस्टल में खाद्य पदार्थों (राशन, सब्जियाँ, दूध) की खरीद और भण्डारण गुणवत्ता संरक्षण एंव बर्बादी न्यूनीकरण हेतु व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है। सरकारी दिशानिर्देशों, FSSAI मानकों एवं FIFO सिद्धांत पर आधारित यह प्रक्रिया पोषण सुरक्षा एवं संसाधन कुशलता सुनिश्चित करती है।

खाद्य पदार्थों की खरीद, भण्डारण एवं गुणवत्ता संरक्षण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती हैः

खरीद:- सरकारी दिशानिदेर्शों के अनुसार FCI/मान्यता प्राप्त एजेंसियों से राशन (गेहूँ, चावल, दालें) खरीदें। सब्जियां स्थानीय बाजार से ताजा, बिना कीट/सड़न वाली चुनें। दूध FSSAI प्रमाणित डेयरी से पैकेटबंद/पाश्चुरीकृत लें। मात्रा मासिक मेनू एवं छात्र संख्या के अनुसार निर्धारित करें।

भंडारण:- राशन को नमी-मुक्त, हवादार गोदाम में लकड़ी के तख्तों पर रखें; कीटनाशक छिड़काव करें। सब्जियां ठंडे, अंधेरे स्थान पर क्रेट में रखें। दैनिक उपयोग करें। दूध को रेफ्रिजरेटर (4°C) में रखें; FIFO (First in First out) नियम अपनाएं।

गुणवत्ता एवं बर्बादी न्यूनीकरण:- साप्ताहिक निरीक्षण, स्टॉक रजिस्टर अपडेट, खराब सामग्री अलग करें। मेनू प्लानिंग से अतिरिक्त खरीद रोके। इससे पोषण, स्वच्छता बनी रहती है एवं बर्बादी न्यूनतम होती है।

अतः खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने एवं बर्बादी कम करने हेतु मानक खरीद (FCI/FSSAI प्रमाणित), उचित भंडारण (नमी-मुक्त गोदाम, रेफ्रिजरेशन, FIFO), साप्ताहिक निरीक्षण एवं स्टॉक रजिस्टर अनिवार्य है। मासिक मेनू प्लानिंग से आवश्यकता अनुसार खरीद सुनिश्चित करें।इससे पोषण सुरक्षा, स्वच्छता एवं संसाधन संरक्षण होता है, जो EMRS हॉस्टल प्रबंधन की कुंजी है।

12.

हॉस्टल वार्डन के रूप में, छात्रों का कल्याण या हित जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भावनात्मक संकट (जैसे- तनाव, चिंता, अवसाद) या दुर्व्यवहार (शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण) सामना कर रहे छात्रों को समय पर पहचानना उनकी मदद के लिए जरूरी है। यह पहचान छात्र के व्यवहार, शारीरिक संकेतों और सामाजिक परिवर्तनों पर आधारित होनी चाहिए।

भावनात्मक संकट का सामना कर रहे छात्रों की पहचान निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है-

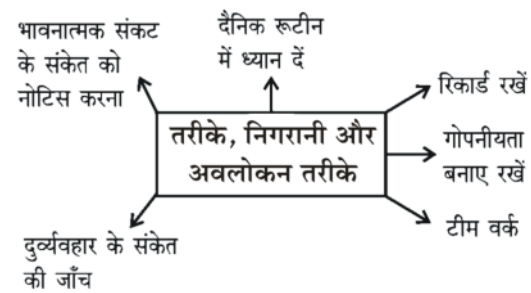

(1) दैनिक रूटिन पर ध्यान देना- छात्रों से नियमित बातचीत करना जैसे- भोजन के समय, अध्ययन कक्षाओं और खेल के दौरान अचानक बदलाव को नोट करें।

(2) गोपनीयता बनाएं रखें- छात्रों को विश्वास दिलाएं कि आप उनकी बात सुनेंगे और उसकी गोपनीयता बनाएँ रखें।

(3) रिकॉर्ड रखें- उपस्थिति, शिकायतों या घटनाओं का लॉग बनाएँ। अगर कोई पैटर्न दिखें (जैसे- लगातार अनुपस्थिति), तो गहराई से जांच करें।

(4) टीम वर्क- अन्य स्टाफ (शिक्षक, नर्स) से जानकारी साझा करें, लेकिन गोपनीयता का पालन करें।

(5) भावनात्मक- संकट के संकेत को नोटिस करना जैसे- हॉस्टल जीवन की चुनौतियां (घर से दूर रहना, अकेलापन), सामाजिक अलगाव (दोस्तों से दूर रहना, कम बात करना), एकाग्रता की कमी व चिड़चिड़ापन या झगड़े आदि।

(6) दुर्व्यव्यवहार के संकेत की जांच करना- जैसे- चोट या घाव, डरते हुए व्यवहार, अत्यधिक शर्म या अपराध बोध, विश्वास की कमी और बार-बार अनुपस्थिति आदि।

छात्रों को अपराध बोध व भावनात्मक संकट से उबारने हेतु हॉस्टल वार्डन द्वारा छात्रों से तुरंत बात करें, सहायता लें (मनोचिकित्सक से), रिपोर्टिंग (दुर्व्यवहार पर, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098) करें, समर्थन दें (जैसे- ग्रुप काउंसिलिंग) और आत्म सुरक्षा सुनिश्चित कर छात्रों को भावनात्मक संकट और दुर्व्यवहार से निजात मिल सकती है।

13.

पुरूष और महिलाओं के छात्रावास भवनों के प्रवेश और निकास बिन्दुओं पर अनधिकृत प्रवेश का रोकने के लिए सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए-

प्रवेश नियंत्रण प्रणाली-

बायोमेट्रिक सिस्टम एवं आईडी कार्ड- इसके अन्तर्गत 'फिंगर प्रिंट स्कैनर' एवं 'फेस रिकग्निशन प्रणाली' अपनाया जाना चाहिए।

अतिथि पंजीकरण- पहचान पत्र, आने का कारण, छात्र से संबंध तथा विवरण। आंगतुकों को अस्थायी विजिटर पास प्रदान करने की व्यवस्था।

सुरक्षा कर्मी-

- प्रशिक्षित एवं रजिस्टर्ड सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।
- महिला सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति।
- नियमित अंतरालों पर निरीक्षण किया जाना।

निगरानी प्रणाली-

- सीसीटीबी कैमरे द्वारा 24×7 निगरानी

क्षैतिक सुरक्षा व्यवस्था-

छात्रावास परिसर के चारो ओर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था,
एक ही प्रवेश द्वार।

अनुशासन एवं जागरूकता-

- छात्र/छात्राओं को सुरक्षा नियमों की जानकारी दिया जाना चाहिए।
- पुलिस सहायता नम्बरों यथा 1090 एवं 100 के बारे में जानकारी दिया जाना।

इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था से छात्रावासों में अनधिकृत प्रवेश को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है एवं छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।

14.

एक छात्रावास परिसर में मापक स्वच्छता प्रबन्धन योजना विकसित व लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना है, तकि छात्र स्वस्थ्य और अनुशासित जीवन व्यतीत कर सकें।

प्रारम्भिक स्थिति का मूल्यांकन -

- छात्रावास के सभी क्षेत्रों (कक्ष, स्नानघर, रसोई, भोजनायलय परिसर, जलस्रोत) का निरीक्षण करें।
- गंदगी, कचरा प्रबन्धन में कमी जल निकासी के समय शौचालयों की स्थिति आदि का पहचान।
- सफाई कर्मी, उपकरण, रसायन, कुड़ेदान पानी की उपलब्धता आदि की सूची बनाए।

लक्ष्य निर्धारण :-

- प्रतिदिन सभी कॉमन एरिया की सफाई 2 बार की जाए।
- शौचालयों की स्वच्छता रेटिंग 90% तक लाना
- प्लास्टिक कचरे में 50% की कमी प्रत्येक 3 माह में करनी चाहिए।

योजना का निर्माण :-

- दैनिक, साप्ताहिक और मासिक कार्यों की सूची बनाएँ।
- प्रत्येक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या सफाई दल निर्धारित करें।

संसाधन प्रबन्धन :-

- आवश्यक सफाई सामग्री डिटर्जेंट, फिनाइल, झाड़ू, पोछा आदि की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें।
- सफाई उपकरणों की स्थिति व रख-रखाव का रिकॉर्ड रखें।

कचरा प्रबन्धन :-

- गीला-सूखा कचरा को नियमित रूप से अलग करें।
- नगर-निगम या स्थानीय एजेन्सी से समन्वय कर कचरा का निस्तारण करें।

जल स्वच्छता :- सुरक्षित पेयजल व टंकी की सफाई नियामित करें। ड्रेनेज की नियमित जांच करें।

एक प्रभावी मापक स्वच्छता प्रबन्धन योजना तभी सफल होता है जब-

- स्पष्ट मानक निर्धारित हो।
- उनकी नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन हो।
- छात्रों व स्टाफ दोनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

15.

छात्रावास में बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुचारू संचालन शामिल है। यह बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। छात्रावास में बच्चों के रिकार्ड के प्रबन्धन निम्न प्रकार से किया जा सकता है –

सुरक्षा- प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड (जैसे बाहर आने-जाने का समय) रखना उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इससे पता चलता है कि कौन, कब और कहाँ है।

स्वास्थ्य- स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का रिकॉर्ड रखना आपात स्थिति में आवश्यक है, ताकि सही उपचार दिया जा सके।

प्रशासनिक दक्षता- इससे दाखिले, फीस, छात्रावास के कमरे का आवंटन जैसे प्रशासनिक कार्य आसान हो जाते हैं। जिससे कागजी काम कम होता है।

पारदर्शिता- यह माता-पिता के साथ संवाद में मदद करता है, उन्हें अपने बच्चे की प्रगति और व्यवहार के बारे में सूचित करता है।

व्यवहार और प्रगति- रिकॉर्ड के माध्यम से बच्चे के व्यवहार और शैक्षणिक प्रगति पर नज़र रखी जा सकती है। जिससे उचित मार्गदर्शन में मदद मिलती है।

छात्रावास में बच्चों के रिकॉर्ड का प्रबन्धन उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सहायता प्रदान करने में मदद करता है बल्कि प्रशासनिक कार्यों को भी सुव्यवस्थित बनाता है। माता-पिता और अभिभावकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, अंत में एक व्यवस्थित रिकॉर्ड प्रणाली छात्रावास प्रबन्धन को अधिक कुशल, सुरक्षित और जिम्मेदार बना देती है। जिससे बच्चों के लिए एक बेहतर और संरक्षित वातावरण तैयार हो।

PRACTICE SET-02

Part-A (Objective Questions)

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है?

(a) धारा 14 (b) धारा 15
(c) धारा 18 (d) धारा 16

2. लैगिंक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा?

(a) 6 माह (b) 9 माह
(c) 2 वर्ष (d) 1 वर्ष

3. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है।

(a) समुचित सरकार द्वारा (b) राज्य सरकार द्वारा
(c) केन्द्रीय सरकार द्वारा (d) राष्ट्रपति द्वारा

4. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 में वेश्यागृह परिभाषित है।

(a) धारा 2 (a) (b) धारा 2 (b)
(c) धारा 2 (c) (d) धारा 2 (d)

5. बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2 (b) में परिभाषित है।

(a) बालक अधिकार (b) अधिकार
(c) आयोग (d) सदस्य

6. बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के अन्तर्गत बालक शब्द को परिभाषित किया गया है?

(a) धारा 2 (a) (b) धारा 2 (b)
(c) धारा 2 (c) (d) धारा 2 (d)

7. भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा का उपबंध करता है?

(a) अनुच्छेद 43 (b) अनुच्छेद 44
(c) अनुच्छेद 45 (d) अनुच्छेद 46

8. वर्तमान में भारत में 5 वर्ष से कम आयु में शिशु मृत्यु दर है?

(a) 35 (b) 34
(c) 32 (d) 40

9. How can a Hostel warden ensure that the hostel with disabilities/एक छात्रावास वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है?

(a) Ignore the accessibility needs of students with disabilities./विकलांग छात्रों की पहुँच संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा करना।
(b) Regular audit and improvement in hostel premises to make accessible to disabled/नियमित ऑडिट करना और पहुँच के लिए आवश्यक संशोधन करना।
(c) Exclusion of students with disabilities from living in the hostel./विकलांग छात्रों को छात्रावास में रहने से बाहर करना।
(d) Refusal to make any accommodation for students with disabilities/विकलांग छात्रों के लिए कोई भी आवास बनाने से इंकार करना।

10. What are things being given for the entertainment of students in the hostel?/छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए क्या-क्या चीजें दिया जाता है।

(a) T.V./टी.वी.
(b) Badminton/बैडमिंटन कोर्ट
(c) Valley ball/वॉली बॉल
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

11. How can warden ensure peaceful environment for study in Hostel?/वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण को कैसे सुनिश्चित कर सकता है?

(a) Decide peaceful time and study zone in Hostel./छात्रावास में शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करना।
(b) Ignore any problem in study zone./अध्ययन क्षेत्रों में किसी भी गड़बड़ी को नजरअंदाज करना।
(c) Promote meetings and celebrations full of noise in study zone./अध्ययन क्षेत्र में शोर शराबे वाली सभाओं और समारोहों को प्रोत्साहित करना।
(d) Give permission to students to take his pet in study zone./छात्रों को अपने पालतू जानवरों को अध्ययन क्षेत्र में लाने की अनुमति देना।

12. If any group is not following cleanliness norms, problem will be solved by which official in the hostel./यदि किसी समूह द्वारा साफ-सफाई अपेक्षित स्तर की नहीं हो रही है ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में किसके द्वारा समस्या समाधान किया जायेगा?

(a) By warden/वार्डन के द्वारा
(b) By Hostel Superintendent/छात्रावास अधीक्षक के द्वारा
(c) By Hostel care taker/छात्रावास केयर टेकर द्वारा
(d) By meeting of Students/छात्र/छात्राओं द्वारा मिटिंग करके

13. What are the essential characteristics of Hostel management system?/छात्रावास प्रबंधन प्रणाली की आवश्यक विशेषताएँ क्या है?

(a) Hostel record/छात्रावास अभिलेख
(b) Student centric Environment छात्र केंद्रित वातावरण
(c) Fee collection/शुल्क संग्रहण
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

14. सर्वप्रथम बाल विवाह रोकने हेतु कौन-सा कानून बना है?

(a) बाल-विवाह निषेध अधिनियम-1929
(b) बाल-विवाह निरोध अधिनियम-1950
(c) बाल-विवाह निषेध अधिनियम-2005
(d) बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006

15. **पॉक्सो अधिनियम-2012 के अनुसार 'बालक' की आयु क्या है?**
(a) 14 वर्ष (b) 15 वर्ष
(c) 16 वर्ष (d) 18 वर्ष

16. **किशोरों (14-18 वर्ष) को किस प्रकार के कार्यों में नियोजित करने से प्रतिबन्धित किया गया है।**
(a) सभी प्रकार के कार्यों में
(b) केवल खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में
(c) केवल पारिवारिक कार्यों में
(d) केवल कृषि कार्यों में

17. **अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (ITPA) मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है?**
(a) SITA, 1956 (b) TADA, 1956
(c) POCSO, 1956 (d) MTP, 1956

18. **बाल अधिकार अधिनियम का पूरा नाम क्या है?**
(a) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अधिनियम, 2005
(b) बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अधिनियम, 2005
(c) बाल संरक्षण अधिनियम, 2005
(d) जूबेनाइल जस्टिस एक्ट, 2005

19. **आरटीई अधिनियम, 2009 को भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।**
(a) 42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976
(b) 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978
(c) 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992
(d) 86वाँ संशोधन अधिनियम, 2002

20. **राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में 'बाल' की परिभाषा क्या है?**
(a) 0-14 वर्ष (b) 0-16 वर्ष
(c) 0-18 वर्ष (d) 0-21 वर्ष

21. **राष्ट्रीय बाल चार्टर के अनुसार बच्चे की परिभाषा क्या है?**
(a) 0-14 वर्ष (b) 0-16 वर्ष
(c) 0-18 वर्ष (d) 0-21 वर्ष

22. **निम्न में से नवजात मृत्यु दर को स्पष्ट करता है-**
(a) $\dfrac{\text{जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर बच्चों के मृत्यु की संख्या}}{\text{जन्मों की कुल संख्या}} \times 100$
(b) $\dfrac{\text{जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर बच्चों के मृत्यु की संख्या}}{\text{जन्मों की कुल संख्या}} \times 1000$
(c) $\dfrac{\text{5वें जन्म दिन के भीतर बच्चों के मृत्यु की संख्या}}{\text{जन्मों की कुल संख्या}} \times 100$
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

23. **नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-5 (NFHS-5 (2019-21) के अनुसार भारत का समग्र लिंग अनुपात कितना है?**
(a) 943 (b) 929
(c) 1020 (d) 517

24. **छात्रावास में बिस्तर सामग्री की सूची में गद्दा कितनी बार प्रतिस्थापित किया जाता है?**
(a) प्रत्येक 6 महीने में (b) प्रत्येक 1 एक वर्ष में
(c) प्रत्येक 2 वर्ष में (d) प्रत्येक 3 वर्ष में

25. **सूर्यास्त के बाद लड़कियों के हॉस्टल में कौन प्रवेश कर सकता है?**
(a) पुरुष वार्डन
(b) पुरुष प्रिंसिपल
(c) कोई पुरुष नहीं
(d) आपातकाल में पुरुष डॉक्टर

26. **शौचालयों की सफाई के लिए न्यूनतम आवृत्ति क्या होनी चाहिए?**
(a) सप्ताह में एक बार (b) महीने में एक बार
(c) दिन में एक बार (d) दिन में दो बार

27. **EMRS में छात्र प्रवेश रिकार्ड का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है?**
(a) NESTS (b) राज्य EMRS सोसाइटी
(c) DLC (d) CBSE

28. **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 25 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किये जाने वाला बालक का कथन-**
(a) अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जायेगा
(b) अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया जायेगा
(c) अन्वेषण अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जायेगा
(d) महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जायेगा

29. **It is necessary for the proper maintenance of materials in the hostel./छात्रावास में सामग्रियों के उचित रख-रखाव के लिए आवश्यक होता है–**
(a) Regular cleaning/नियमित साफ सफाई
(b) To be in control/नियंत्रण में होना
(c) Forecasting and planning/पूर्वानुमान व योजना
(d) All/सभी

30. **In terms of privacy and security how should a hostel warden handle the personal belongings of students?/गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में, एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए।**
(a) Ensure that any prohibited matter is not available in room./यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रतिबंधित वस्तु मौजूद नहीं है।
(b) Respect the privacy of students intervene only if security concern./छात्रों की निजता का सम्मान करेंगे, यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हों तो हस्तक्षेप करें।
(c) Share information of personal belongings of students with other residents./छात्रों के निजी सामान के बारे में अन्य निवासियों के साथ साझा करें।
(d) Keep personal belongings in common area for mare effective screening.
व्यक्तिगत सामानों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए उन्हें एक सामान्य क्षेत्र में रखें।

31. What measures can the warden take to ensure the safety of the female students in the hostel? छात्रावास में महिला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वार्डन क्या उपाय कर सकती है?
(a) Deploying women security guards during day time/दिन के दौरान महिला सुरक्षा गार्ड नियुक्त करना।
(b) Restrictions on the activities of female students after darkness/अंधेरे के बाद महिला छात्रों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना।
(c) Banning female students from participating in outdoor activities/महिला विद्यार्थियों को बाहरी गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंधित लगाना।
(d) Promote Gender Equality and provide safe environment for all students
लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।

32. राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में बच्चों को केवल ''लाभार्थी'' नहीं बल्कि ''राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार'' माना गया है।
(a) सत्य (b) असत्य
(c) केवल 14-18 वर्ष के बच्चों को भागीदार माना गया है।
(d) केवल लड़कियों को भागीदार माना गया है।

33. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) (2019-21) के अनुसार भारत का U5MR क्या है?
(a) 38 (b) 42 (c) 43 (d) 45

34. उपभोग्य सामग्रियों की सूची में फर्स्ट-एड किट का अपडेट कितनी बार करना अनिवार्य है?
(a) मासिक (b) त्रैमासिक (c) वार्षिक (d) कभी नहीं

35. छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?
(a) कहानी सुनाना (b) स्वच्छता शपथ
(c) धुलाई बंद करना (d) कक्षाएँ कम करना

**36. Which of the following schools opened for Tribal children?
निम्नलिखित में से कौन-सा स्कूल आदिवासी बच्चों के के लिए खोला गया ?**
(a) K.V.S.के०वी०एस० (b) N.V.S./एन०वी०एस०
(c) E.M.R.S.ई०एम०आर०एस०
(d) All of the above उपर्युक्त सभी

37. What steps does the warden take to handle food allergies or dietary restrictions?/भोजन-संबंधी एलर्जी या आहार संबंधी प्रतिबंधों के मामलों को संभालने के लिए वार्डन को क्या कदम उठाने होंगे।
(a) Ensure variety of foods available to the children./यह सुनिश्चित करना की सभी छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन विकल्प उपलब्ध हों।
(b) Punish students for need of special foods/विशिष्ट आहार आवश्यकताओं के लिए छात्रों को दंडित करना।
(c) Ignore dietary needs of students./छात्रों की आहार संबंधी आवश्यकताओं की अनदेखी करना।
(d) Suppress students for sharing diet preferences./छात्रों को अपनी आहार संबंधी प्राथमिकताओं को साझा करने से हतोत्साहित करना।

38. How will be ensure cleanliness and clean environment in the hostel./छात्रावास में स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण कैसे सुनिश्चित होगा?
(a) Making aware by writing the slogan of cleanliness i the hostel/छात्रावास में जगह-जगह स्वच्छता का स्लोगन लिखकर जागरूक करने से
(b) By ensuring the responsibility of each students and each employee of the hostel towards cleanliness
प्रत्येक विद्यार्थी और छात्रावास के प्रत्येक कर्मचारी का स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर,
(c) Proper disposal of hostel waste
छात्रावास के कचरे का उचित तरीके से निस्तारण कर
(d) All of the above/उपर्युक्त सभी

39. Approximately how many students live in hostel rooms./छात्रावास के एक कमरे में लगभग कितने छात्र रहते है?
(a) 3-6 students/3-6 छात्र
(b) 4-10 students/4-10 छात्र
(c) 4-8 students/4-8 छात्र
(d) 10-12 students/10-12 छात्र

40. EMRS हॉस्टल में "No Mobile Phone" नीति का मुख्य कारण क्या है?
(a) पढ़ाई में ध्यान
(b) अश्लील कंटेंट एवं साइबर बुलिंग रोकना
(c) बैटरी बचाना
(d) नेटवर्क समस्या

Part-B (Descriptive Questions)

1. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रमुख उद्देश्य क्या है?
2. पाक्सो एक्ट 2020 में क्या परिवर्तन किये गए हैं?
3. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनिमयन) अधिनियम, 1986 की क्या विशेषता है?
4. अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम-1956 के मुख्य उद्देश्य क्या है?
5. बालक अधिकार संरक्षण आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बना है?
6. RTE अधिनियम कब लागू हुआ और यह किस संवैधानिक संशोधन का परिणाम है? क्यों ?
7. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बच्चों के अधिकारों की रक्षा में कैसे भूमिका निभाता है?
8. भारत में बच्चों के राष्ट्रीय चार्टर के उद्देश्य क्या हैं? व्याख्या करें।
9. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बाल मृत्यदर कम करने हेतु किए जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिए।
10. भारत में लिंगानुपात की गणना किस प्रकार की जाती है?
11. अधिक संख्या में छात्रों के लिए मेस में भोजन की गुणवत्ता और समय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए?
12. छात्रावास में मेस और रसोई के लिए उपभोग्य सामग्रियों की दैनिक खपत का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है?
13. छात्रावास के नियमों का उल्लंघन किए बिना छात्रों के भावनात्मक स्वास्थ्य की निगरानी कैसे की जाएँ?
14. पुरूषों और महिलाओं के छात्रावास में जाने और आने का समय का प्रबन्धन आप कैसे करेंगे, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए क्या दंड निर्धारित हैं?
15. बच्चों के शैक्षणिक रिकॉर्ड का क्या महत्व है?

Solution : Practice Set-02

Answer

1.(d)	**6.(c)**	**11.(a)**	**16.(b)**	**21.(c)**	**26.(d)**	**31.(d)**	**36.(c)**
2.(d)	**7.(c)**	**12.(d)**	**17.(a)**	**22.(b)**	**27.(b)**	**32.(a)**	**37.(a)**
3.(c)	**8.(c)**	**13.(d)**	**18.(b)**	**23.(c)**	**28.(b)**	**33.(a)**	**38.(d)**
4.(a)	**9.(b)**	**14.(a)**	**19.(d)**	**24.(b)**	**29.(d)**	**34.(b)**	**39.(c)**
5.(a)	**10.(d)**	**15.(d)**	**20.(c)**	**25.(c)**	**30.(b)**	**35.(b)**	**40.(b)**

Solution

Part-A (Objective Questions)

1.(d)
2.(d)
3.(c)
4.(a)
5.(a)
6.(c)
7.(c)
8.(c)
9.(b)

एक छात्रावास वार्डन द्वारा नियमित ऑडिट करके और पहुँच के लिए आवश्यक संशोधन करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है। ऐसी सूचनाओं को समाचार-पत्रों के माध्यम से भी प्रचारित किया जा सकता है।

10.(d)

छात्रावास में छात्रों के मनोरंजन के लिए एक टीवी रूम और एक रीडिंग रूम प्रदान किया जाता है तथा छात्रावास के भीतर एक बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस टेबल भी होना चाहिए अन्य खेल सामग्री भी जैसे बास्केटबॉल, बॉली-बॉल इत्यादि दिया जाता है।

11.(a)

वार्डन छात्रों के लिए शांतिपूर्ण अध्ययन वातावरण छात्रावास में शांत समय और अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करके सुनिश्चित कर सकता है।

12.(d)

यदि किसी समूह द्वारा साफ-सफाई अपेक्षित स्तर की नहीं हो रही है ऐसी स्थिति में एक कमरे में रहने वाले सभी छात्र/छात्राओं की मीटिंग आयोजित करके इस विषय पर बातचीत करके स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करेंगे।

13.(d)

एक छात्रावास प्रबंधन प्रणाली में हॉस्टल वार्डन को छात्रावास अभिलेख, छात्र केंद्रित वातावरण तथा शुल्क संग्रहण के प्रति जागरुक होना आवश्यक है।

14.(a)

सर्वप्रथम बाल विवाह रोकने हेतु बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 लागू किया गया था। इसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। यह एक्ट 1929 में वायसराय लार्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ और 1930 में लागू हुआ।

15.(d)

POCSO अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को बालक माना गया है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इससे सभी नाबालिगों को समान सुरक्षा मिलती है।

16.(b)

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 किशोरों (14-18 वर्ष) को केवल खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कार्य करने के लिए नियोजित करने से प्रतिबंधित करता है।

17.(a)

इस अधिनियम को प्रारम्भ में Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act (SITA) कहा गया। बाद में 1986 में संशोधन के पश्चात इसका नाम बदल दिया गया।

18.(b)

बाल अधिकार अधिनियम का पूरा नाम - बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अधिनियम, 2005 है। इसका मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों की सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करना है।

19.(d)

आरटीई अधिनियम 2009 भारत के संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। इस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया और संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया।

20.(c)

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 में 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को ''बाल'' (बच्चा) माना गया है।

21.(c)

राष्ट्रीय बाल चार्टर के अनुच्छेद 2 में स्पष्ट है कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है। यह परिभाषा यूएनसीआरसी (UNCRC) एवं भारतीय कानून जैसे किशोर न्याय एक्ट के अनुरूप है। चार्टर इसी आधार पर सभी अधिकार लागू कराता है।

22.(b)

नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 0 से 28 दिनों के बीच होने वाली मौतों की संख्या है। भारत में 2021 में यह दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 19 थी, जो 2014 में 26 थी।

23.(c)

वर्तमान में नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-5 (NFHS-5 (2019-21)) के अनुसार भारत का समग्र लिंग अनुपात 1020 है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का समग्र लिंग अनुपात 943 है।

24.(b)

छात्रावास रखरखाव के लिए बिस्तर सामग्री में प्रति बच्चे एक गद्दा प्रवेश पर प्रदान किया जाता है और प्रत्येक वर्ष प्रतिस्थापित किया जाता है। अन्य सामग्रियों जैसे- चादरें प्रत्येक 6 महीने में, तकिया प्रत्येक वर्ष और कंबल प्रत्येक दो वर्ष में बदला जाता है। यह स्वच्छता और स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है।